मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017–2018

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
2018

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2018

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय

विभाग	राजस्व विभाग
मंत्री, राजस्व	श्री उमांशकर गुप्ता
प्रमुख सचिव	श्री अरूण पाण्डे
	श्री हरिरंजन राव
	श्री मनीष रस्तोगी
सचिव	श्री राजेन्द्र सिंह
	श्री एम. सेल्वेन्द्रन
उप सचिव	श्री सुनील दुबे
	श्री अनुराग सक्सेना
	श्री अजय कटेसरिया
अवर सचिव	सुश्री सुमन रायकवार
	श्री एन. पी. अहिरवार
	श्री राधेश्याम वर्मा

विभागाध्यक्ष

राहत आयुक्त	**श्री अरूण पाण्डे**
प्रमुख राजस्व आयुक्त	श्री मनीष रस्तोगी
आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त	श्री एम. सेल्वेन्द्रन
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री	श्री राजेश कौल

अनुक्रमणिका

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1	राजस्व विभाग की संरचना	1–2
2	प्रमुख राजस्व आयुक्त	3
3	प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति.	4
4	राहत आयुक्त कार्यालय	5–7
5	आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त	8–25
6	राजस्व मण्डल	26–29
7	नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग	30–32

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग की संरचना :

राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री के अधीन है, जिनकी सहायता के लिए सचिवालय स्तर पर 3 प्रमुख सचिव पदस्थ हैं. विभाग में 2 सचिव, 3 उप सचिव, 3 अवर सचिव पदस्थ हैं. राजस्व विभाग को सौंपे गए उत्तरदायित्व के लिए विभाग में कुल 7 शाखाएं कार्यरत हैं.

राजस्व विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिए विभाग की राज्य स्तर पर संरचना निम्नानुसार है :—

(1) मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

(2) प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश

(3) राहत आयुक्त, भोपाल

(4) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(5) नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल.

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें :—

1. पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
2. मध्यभारत
3. विन्ध्यप्रदेश
4. भोपाल तथा
5. राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून / अधिनियम लागू थे जिन्हें लोप किया जाकर दिनांक 2-10-1959 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 को लागू किया गया.

2. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार हैं :—

	संभाग	जिले
1.	ग्वालियर	ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर
2.	चम्बल	भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर
3.	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर
4.	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच एवं आगर-मालवा

	संभाग	जिले
5.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा
6.	होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल
7.	सागर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़
8.	रीवा	रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली
9.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डौरी
10.	शहडोल	शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया.

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं. उनकी सहायता के लिये एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है. इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं. ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के रूप में परिभाषित किये गये हैं और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं.

प्रमुख राजस्व आयुक्त :

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-425-12-1-2004-सात-(4बी) दिनांक 15 फरवरी 2011 के द्वारा राजस्व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा भोपाल में ''प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय'' की स्थापना की गई है जो वर्तमान में प्रथम तल राहत आयुक्त भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में संचालित है.

2. राज्य शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है.

3. प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नानुसार शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुरूप समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं. तदानुसार निम्न कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे:—

1. तहसीलदार / नायब तहसीलदार स्थापना, सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण आदि.
2. संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना.
3. बजट संबंधी कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना.
4. नजूल भूमि एवं जारी किये गये स्थायी पट्टों, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण.
5. भू-अर्जन, विभिन्न वृहद् एवं लघु परियोजनाओं के लिये सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि सीमा के अर्जन की अनुमति.
6. नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के अभाव में शासनहित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय / आवंटन.
7. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अभाव में प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि.
8. निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण.
9. भू-राजस्व एवं उगाही एवं वसूली.
10. आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण.
11. राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनिमय.
12. निस्तार भूमि तथा चरनोई, बाजार हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था.
13. राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि.
14. राज्य के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये विभागों / संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना.
15. विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों / नियमों / विनिमय / अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना.
16. विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष.
17. लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही
18. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाते हैं.

प्रमुख राजस्व आयुक्त

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति
(जानकारी माह फरफरी 2018 की स्थिति में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	कुल व्यय (जिलों को आवंटित)	शेष आवंटन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	08	2053	0441—आदेशिका वाहन स्थापना	773619	603309	170310	
2.	08	2053	0452—आयुक्त स्थापना	225440	174079	51361	
3.	08	2053	0619—उप संभागीय स्थापना	2468060	1932441	535619	
4.	08	2053	6924—प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना	39251	25895	13357	
5.	08	2053	1509—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन स्थापना.	3504962	2878687	626275	
6.	08	2053	7415—लोक शोध राशि वसूली प्रोत्साहन राशि.	90	0	90	
7.	08	2053	8808—सूचना एवं प्रौद्योगिक संबंधी कार्य.	45002	41201	3801	
8.	08	2053	7300-स्व. सुशील चन्द्र वर्मा पारितोषिक पुरस्कार.	1000	0	1000	
			योग मुख्य लेखा शीर्ष 2053	**7057424**	**5655612**	**1401813**	
9.	08	2075	1412—जमीदारी प्रथा की समाप्ति पर भूस्वामियों की क्षति पूर्ति.	10	0	10	
10.	08	2075	2617—पुनःग्रहीन भूमियों के बदले निवृत्ति वेतन.	53	36	17	
			योग मुख्य लेखा शीर्ष 2075	**63**	**36**	**27**	
11.	08	4059	5160—कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण.	332750	317726	15024	
12.	08	4059	6664—तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण.	950000	915048	34952	
			योग मुख्य लेखा शीर्ष 4059	**1282750**	**1232774**	**49976**	
13.	08	6401	0862-कृषक ऋण विधान	500	0	500	
			योग मुख्य लेखा शीर्ष 6401	**500**	**0**	**500**	
			योग मुख्य शीर्ष 08	**8340737**	**6888422**	**1452316**	
14.	09	2075	4376—समर्पण तथा क्षतिपूर्तियां झक्कन एवं सिल्लेदारों और दामी दरखादारों का भुगतान.	225	84	141	
			योग मुख्य लेखा शीर्ष 2075	**225**	**84**	**141**	
			योग मुख्य शीर्ष 09	**225**	**84**	**141**	
			योग मुख्य संख्या 08 एवं 09	**8340962**	**6888506**	**1452457**	

कार्यालय राहत आयुक्त

राजस्व राहत भवन

220, अरेरा हिल्स भोपाल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

राहत आयुक्त कार्यालय स्थापना, सामान्य परिचय एवं भूमिका :

प्रदेश स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी संकलित करने और आपदा प्रभावितों को प्रदाय की जा रही राहत की निरन्तर मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा की गई. राहत आयुक्त कार्यालय में प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा, बाढ़, ओला, पाला अग्नि, भूकंप एवं कीट प्रकोप आदि से प्रभावितों को त्वरित रूप से राहत पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है. विभाग यह कार्य जिला स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से संपादित करता है. राहत आयुक्त कार्यालय का सेटअप निम्नानुसार है :—

स.क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पदों की संख्या (3)	भरे पदों की संख्या (4)	रिक्त पदों की संख्या (5)
1.	राहत आयुक्त	01	01	00
2.	उपराहत आयुक्त	02	02	00
3	लेखाधिकारी	01	00	01
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	00	02
5	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	01	01	00
6.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	00	01
7.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	02	00	02
8.	अंवेषक	03	01	02
9.	संगणक	01	00	01
10.	सहायक ग्रेड-2	01	01	00
11.	लेखापाल	01	01	00
12.	सहायक ग्रेड-3	04	04	00
13.	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	00
14.	स्टेनो ग्राफर	01	00	01
15.	वाहन चालक	04	03	01
16.	भृत्य	05	04	01
17.	डाकराईडर	02	02	00
18.	चौकीदार	01	01	00
	कुल पद	34	22	12

2. अपने सीमित अमले की सहायता से यह कार्यालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर उनका सारणीकरण कर राज्य शासन को अवगत कराता है. निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित तथा यथायोग्य सहायता राशि प्रदान की जाती है. इस कार्यालय द्वारा वर्षा ऋतु में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित कर वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलों में तत्काल राहत सहायता हेतु हेलीकॉप्टर एवं एनडीआरएफ बल आदि की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है.

3. भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (एस. डी. आर. एफ.) की स्थापना वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई है. एस. डी. आर. एफ. की निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होता है. वर्ष 2015-16 में चौदवहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश का आकार निम्मानुसार है :—

क्र.	वर्ष	केन्द्र का भाग (75 प्रतिशत)	राज्य का भाग (25 प्रतिशत)	योग राशि करोड़ में
1	2015-16	657.75	219.25	877.00
2	2016-17	690.75	230.25	921.00
3	2017-18	725.25	241.75	967.00
4	2018-19	762.00	254.00	1016.00
5	2019-20	799.50	266.50	1066.00

4. मध्यप्रदेश शासन आपदाओं से हुई क्षति के मामलों में प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ राजस्व पुस्तक के परिपत्र 6-4 में प्रावधान रखा है जिससे संबंधित पर आई आपदा का मुकाबला करने के लिये उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुर्नस्थापित कर सके. इसके साथ ही समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है.

5. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को हुई क्षति के अनुसार तत्काल सहायता राहत राशि उपलब्ध करायी जाती है. व्यापक आपदाओं के आने पर एसडीआरएफ के निर्धारित राशि एवं राज्य शासन से उपलब्ध बजट से अधिक व्यय होने की संभावना पर भारत सरकार को मेमोरेण्डम भेजा जाकर अतिरिक्त सहायता राशि की मांग राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (N.D.R.F.) से की जाती है.

6. प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं की स्थिति :

वर्ष 2017-18 में प्रदेश व्यापक रूप से सूखे से प्रभावित रहा है. अल्पवर्षा के कारण भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीन सूखा मैनुअल 2016 के मापदण्डों अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के 18 जिलों की 133 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित किया गया. सूखा प्रभावित जिलों में प्रभावितों को अनुदान राहत सहायता प्रदाय किये जाने हेतु जिला कलेक्टर्स को राशि रुपये 158234.56 लाख का आवंटन राज्य आपदा मोचन निधि (एस. डी. आर. एफ.) में उपलब्ध बजट से प्रदाय किया गया.

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

प्रस्तावना

(INTRODUCTION)

राजस्व विभागान्तर्गत भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्ष आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय मोतीमहल, ग्वालियर में स्थित है. कार्यालय का मुख्य कार्य नक्शों/अभिलेखों को तैयार कराना तथा अद्यतन बनाये रखना है. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कलेक्टर भू-अभिलेख एवं अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख तथा आर. आई./पटवारी जिले का अमला संभाग स्तर पर उपायुक्त भू-अभिलेख कार्यालय संचालित है. जो जिलों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं.

भू-अभिलेख के अन्तर्गत सर्वे/रि-सर्वे की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है. जिसके अन्तर्गत नगरेत्तर/नगरीय/आबादी के डिजिटल नक्शे तैयार कराये जाने की योजना है.

भू-अभिलेख के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख एवं नक्शों का डिजिटाईजेशन कराया गया है. रिकॉर्ड को जिलों में व्यवस्थित रखने के लिये मॉर्डन रिकॉर्ड रूम बनाये गये हैं तथा अभिलेखों को डिजिटल फार्म में व्यवस्थित किया गया है. इनसे आम जन को रिकॉर्ड की नकल दी जाने की सुविधा दी गई है. कृषि सांख्यिकीय के अन्तर्गत लघु सिंचाई संगणना वर्ष संबंधी जानकारी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं. क्षेत्रीय अमले पटवारी/राजस्व निरीक्षक के कार्यालय सह-आवास योजना प्रचलित है. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान एवं दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण तथा नौ पटवारी प्रशिक्षण शालाएं संचालित हैं. जिनमें विभागीय अमले को विभागीय कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है. भारत सरकार/अन्य विभाग से जानकारी दी जाना आदि हेतु विभागीय बेवसाईट www.landrecords.mp.gov.in उपलब्ध है.

अत: भू-अभिलेख का महत्वपूर्ण कार्य विभागाध्यक्ष के निर्देशन में किया जाता है.

1. भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण :

1.1 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :—

1.1.1 प्रदेश में भू-अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस तैयार किया गया है. अभी तक प्रदेश के समस्त 55746 ग्रामों के 1.48 करोड़ भूमि स्वामियों के 4.32 करोड़ खसरा नम्बरों का इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिसमें सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल, भूमिस्वामी का नाम, स्वामित्व का प्रकार, पूर्ण पता, जाति, मिट्टी का प्रकार, भू-राजस्व, सिंचाई साधन, फसल का नाम, इत्यादि की जानकारी सम्मिलित है. उक्त डाटाबेस का निरन्तर अद्यतन तहसील स्थिति डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों से पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर्स के नियंत्रण में किया जा रहा है.

1.1.2 **कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइल मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटिजन सर्विसेज हेतु PPP Boot Model पर web based GIS solution तैयार करना :—** कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए पी. पी. पी. बूट मॉडल पर वेब बेस्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है. एप्लीकेशन के महत्वपूर्ण मॉड्यूल तैयार कराए जा कर इसे प्रदेश के 31 जिलें में लागू कराया गया था. एप्लीकेशन से डाटा अद्यतन में आ रही तकनीकी कठिनाईयों के कारण इसका संचालन दिया गया तथा एन. आई. सी. सॉफ्टवेयर से डाटा अद्यतन एवं सिटीजन सर्विसेज प्रदाय करने की अनुमति जिलों को दी गई. एप्लीकेशन का सरलीकरण करा लिया गया है. भू-अभिलेख डाटा के मानिकीकरण हेतु डाटा क्लीन्जिंग एवं डाटा अद्यतन की कार्यवाही वेब बेस्ड एप्लीकेशन द्वारा की जा रही है. 1 अप्रैल 2018 से वेब बेस्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन पुन: जिलों में लागू किया जाएगा, जिससे खसरा, नक्शा तथा बी-1 की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि कहीं से भी उपलब्ध हो सकेगी.

1.1.3 **विभागीय वेबसाईट.**—प्रदेश का भू-अभिलेख बेव के माध्यम से, आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2007 से इसे विभागीय बेवसाईट पर होस्ट कराया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश के सभी 51 जिलों की 365 तहसीलों का डाटा विभागीय बेवसाइट पर होस्ट है.

1.1.4 **कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण.**—कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ किया गया है. कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	खसरा एवं बी-1 प्रतिलिपियों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
2001-2002	3,88,477	34,79,765
2002-2003	5,57,898	55,13,287
2003-2004	5,80,489	60,91,043
2004-2005	7,93,548	91,88,006
2005-2006	10,63,405	1,46,77,193
2006-2007	13,40,018	2,28,90,536
2007-2008	19,40,610	3,10,26,690
2008-2009	17,70,420	2,51,16,398
2009-2010	25,10,416	3,64,52,186
2010-2011	29,59,869	4,12,23,790
2011-2012	53,07,148	5,93,99,298
2012-2013	63,82,060	5,62,79,191
2013-2014	45,78,397	1,97,52,060
2014-2015	29,80,132	2,76,88,983
2015-2016	29,56,646	4,23,85,070
2016-2017	22,85,691	5,29,54,285
2017-2018	13,01,252	2,70,82,168

2. तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीरण (modernize) करना :—

अभिलेखागारों के आधुनिकीरण कार्य के अन्तर्गत, पूर्व से निर्मित अभिलेखागार भवन का रिनोवेशन/इलेक्ट्रिफिकेशन कर इनमें आई. टी. (सर्वर, कम्प्यूटर, एम. एफ. डी., यू. पी. एस. आदि) एवं नॉन-आई.टी. उपकरण (कॉम्पेक्टर, मैप केबिनेट, एंगल रैक, एयर कण्डीशनर आदि) स्थापित कराए जा रहे हैं.

आधुनिक कॉम्पेक्टर में पुराने अभिलेखों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. इसके अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग, बारकोडिंग, इन्डेक्सिंग, टेगिंग आदि करायी जाकर, डिजिटल डॉक्यूमेन्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम इनके संधारण एवं नकल उपलब्ध कराने की कार्यवाही 36 जिलों में प्रारम्भ कर दी गई है. डिजिटल रूप में परिवर्तित इन अभिलेखों को भविष्य में वेब बेस्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिट्रीव कर नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना है.

45 जिलों की 305 तहसीलों के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण पूर्ण किया गया. ये जिले.—भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, रायसेन, नरसिंहपुर, कटनी, मण्डला, हरदा, दतिया, अनूपपुर, डिण्डौरी, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर, अशोकनगर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खण्डवा, बैतूल, बड़वानी, खरगौन, छिन्दवाड़ा, दमोह, इन्दौर, उमरिया, सागर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, रीवा, आगर-मालवा, विदिशा, देवास, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, शहडोल, धार एवं राजगढ़ हैं. 4 जिलों (सिंगरौली, नीमच, मन्दसौर एवं सीधी) में अभिलेखों की स्केनिंग का कार्य प्रगति पर है. 45 ज़िलों में अभी तक बन्दोबस्त अभिलेखों के 2,80,12,842 पृष्ठों की स्केनिंग कर ली गई है.

कार्य पूर्ण जिलों में बन्दोबस्त के अभिलेख की प्रतिलिपि किसानों को हाथों हाथ उपलब्ध करायी जा रही है.

3. प्रदेश के किसानों को खसरा एवं खतौनी की प्रतिलिपियों का निःशुल्क प्रदाय.—मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-3542, दिनांक 11-6-2017 के क्रम सभी में जिलों में कैम्प आयोजित कर प्रदेश के किसानों को 3,75,80,563 खसरा एवं 14822395 बी-1 की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं.

4. पटवारी बस्ते के लिये कम्प्यूटरीकृत खसरा एवं बी-1 का प्रदाय.—नए राजस्व वर्ष में प्रत्येक पटवारी के बस्ते के लिये कम्प्यूटरीकृत खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के सभी जिलों को राशि रुपए 2,41,00,000/- का बजट उपलब्ध कराया गया है.

5. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति का गठन, स्वरूप एवं उद्देश्य.—प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के Implementation एवं execution हेतु त्रिस्तरीय PMU/ ''म. प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति'' का गठन एक सोसायटी के रूप में दिनांक 5-9-2011 को कराया गया है. समिति का पंजीयन क्रमांक 02/42/01/15278/11 है तथा स्वरूप निम्नानुसार है.—

समिति का नाम (1)	स्वरूप (2)	उद्देश्य (3)	गठन का आदेश (4)
शासी निकाय (Governing Body)	मुख्य सचिव म. प्र. शासन की अध्यक्षता में	राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग एवं रिव्यू	समिति के गठन का प्रस्ताव, मेमोरेण्डम एवं नियमावली का मान मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12-7-2011 को अनुमोदित.

(1)	(2)	(3)	(4)
कार्यकारी समिति (Executive Body)	मुख्य सचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में.	राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-14/2011/सात-6, दिनांक 13-1-2012.
कार्यकारी समिति (Implementing Body)	कलेक्टर की अध्यक्षता में.	जिला स्तर पर योजना की क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-14/2011/सात-6, दिनांक 13-1-2012.

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठकों का आयोजन मान. मुख्य सचिव, म. प्र. शासन की अध्यक्षता में किया जा रहा है. जनवरी 2018 तक शासी निकाय की 11 बैठकें एवं कार्यकारी समिति की 4 बैठक आयोजित की गई हैं.

6. विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सांख्यकीय से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन.—

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मूलत: कृषि विभाग से संबंधित है तथा संचालक कृषि किसान कल्याण विध्यांचल भवन भोपाल इसके नोड़ल अधिकारी है. उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में फसल बीमा योजना जिलास्तर, तहसीलस्तर एवं पटवारी हल्कास्तर पर योजना क्रियान्वित है.

1. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिला स्तरीय.**—मौसम खरीफ फसल मूंग व उड़द तथा मौसम रबी फसल मसूर हेतु वर्ष 2017-18 संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किये गये है.

2. **फसल बीमा योजना तहसील स्तरीय.**—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तहसील स्तर पर उन तहसीलों में लागू है जिसमें चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 500 हे. या इससे अधिक है तथा कम से कम 16 प्रयोग संपन्न होने पर कृषकों को फसल की क्षति होने पर क्लैम भुगतान किया जाता है. वर्तमान में खरीफ के अन्तर्गत ज्वार, तिल, कोदो-कुटकी, मूंगफली, कपास तथा रबी मौसम में फसल अलसी में उक्त योजना लागू है.

3. **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर.**—इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित धान असिंचित, सोयाबीन, तूअर, बाजरा, मक्का तथा रबी मौसम में गेहूँसिंचित, गेंहू असिसिंत, चना, राई सरसो पर फसल कटाई प्रयोग चुने गये पटवारी हल्कों में (चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हे. या इससे अधिक है) तथा कम से कम चार प्रयोग होने पश्चात् हगी क्षति होने पर कास्तकार को बीमा का लाभ प्राप्त होता है. पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कम्प्युटराजेशन जिला कलेक्टर के अधिनस्थ अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वार औसत पैदावार की जानकारी पूर्व में बीमा कंपनी की ओर सीधी भेजी जाती है परन्तु तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा वर्ष 2017-18 में इस कार्यालय के माध्यम से भेजी गई है. वास्तविक रुप से अधीक्षक भू-अभिलेख के माध्यम से पोर्टल पर भेजना चाहिए.

   प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर पर मौसम खरीफ, रबी वर्ष 2017-18 अधिसूचना कृषि विभाग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है. मौसम खरीफ 2017-18 की औसत पैदावार की जानकारी जिला अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दर्ज की गई जा रही है.

4. **लघु सिंचाई संगणना.**—भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश राज्य में भी प्रत्येक पांच साल में लघु सिंचाई योजना की संगणना सम्पन्न कराई जाती है. यह भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है जिसका समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है. यह संगणना वर्ष 2013-14 के आधार पर सम्पन्न की गई है जिसमें राज्य के समस्त 51 जिलों का क्षेत्र कार्य पूर्ण हो गया है. डाटा एन्ट्री कार्य भी समस्त जिलों में पूर्ण हो गया है. डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण हुए जिलों को कम्प्युटरीकरण कार्य बावत् भुगतान करने एवं जिला व तहसील स्तरीय प्रशिक्षण बावत् मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यवाही सम्पूर्ण की जा चुकी है. ज्ञातव्य हो कि कम्प्युटरीकरण कार्य संबंधी भुगतान संबंधी 60 प्रतिशत पूर्व में भुगतान किया जा चुका है शेष राशि की भी अनुमति केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद राशि 40 प्रतिशत के भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं.

5. **वर्षा संबंधी जानकारी.**—साप्ताहिक वर्षा विवरण माह अक्टूबर 2016 में जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्यस्तरीय जानकारी तैयार की जाकर संबंधितों को भेजी गई है वर्ष 2017 में वर्षा मौसम 1 जून 2017 से 12-10-2017 तक की साप्ताहिक वर्षा संबंधितों को भेज दी गई है. यह विवरण प्रतिवर्ष 1 जून से 15 अक्टूबर के बीच के सप्ताहों में भेजा जाता है यह कार्य विभागीय बेवसाईट http://10.131.98.160/mpclr/login.aspx के माध्यम से किया जाता है.

6. **सूचकांक.**—वर्ष में कृषि वर्ष के आधार पर उत्पादन, उत्पादकता क्षेत्रफल एवं प्रक्षेत्रीय भाव के सूचकांक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल को भेजे जाते हैं.

7 थोकभाव—

कृषि जन पदार्थों के प्रत्येक वर्ष के थोक भाव सूचकांक 2016-17 तक विभागीय वेबसाईट www.landrecords.mp.gov.in होस्ट करायी गई है तथा होस्ट कराये जाने की सूचना प्रदेश के आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय तथा योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज दी जाती है.

ग्रामीण फुटकर बाजार भाव मजदूरों की मजदूरी के प्रतिवेदन सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक भेजे जाते हैं.

ग्रामीण मजदूरी के प्रतिवेदन के आधार पर मासिक सूचकांक तैयार कर प्रतिमाह की 10 तारीख तक भारत सरकार को भेजे जाते हैं.

8 सामान्य सांख्यिकी—

सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन के आधार पर राज्यस्तरीय आंकड़े तैयार किए जाते हैं. 51 जिलों से वर्ष 2016-17 की वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं. उनकी जांच पश्चात् प्राप्त विसंगतियों का निराकरण कर जिलास्तरीय संकलन कार्य पूर्णकर राज्यस्तरीय आंकड़े तैयार किए जा चुके हैं. वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष 2016-17 के आंकड़े तैयार हो चुके हैं. वर्ष 2016-17 के भूमि वर्गीकरण के आंकड़े, सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े वेबसाईट पर होस्ट कर दिए गए हैं.

प्रमाणिक पैदावार वर्ष 2016-17 तैयार कर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग (सासा), भोपाल को अभिमत हेतु भेजा गया है अभिमत प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय की वेबसाइट पर होस्ट कर दी जावेगी.

9. मौसम फसल एवं पशु स्थिति का बुधवारा—

साप्ताहिक बुधबारा के अन्तर्गत राज्य के 51 जिलों के अन्तर्गत सप्ताह में हुई वर्षा मि.मी. में, कृषि कार्यों की प्रगति पर वर्षा का प्रभाव सप्ताह के अन्तर्गत ऋतु विषयक घटना, रोग व कीट का प्रभाव, गतवर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता, पशुओं की हालत-चारे की उपलब्धता व पशुओं पर बीमारी, कृषकों को बीज की प्राप्ती तथा कृषि कार्यों हेतु श्रमकों की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी 51 जिलों से प्राप्त कर राज्य सरकार, भारत सरकार व शासकीय प्रेस को भेजी जाती है.

7 फसल गिरदावरी—

फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि वर्ष में दो बार खरीफ एवं रबी सीजन की बुवाई के पश्चात् की जाती है एवं भू-अभिलेखों में दर्ज की जाती है. यह जानकारी कई मामलों जैसे फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपायी, बैंक ऋण योजनाओं के लाभ लेने आदि में महत्वपूर्ण होती है. प्रचलित पद्धति में कई बार जानकारी समय में अद्यतन नहीं होने या गलत हो जाने पर कई बार कृषक उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं. इसका एक और पहलू यह भी है कि यदि यह जानकारी शासन का समय से प्राप्त हो जावे तो प्रदेश स्तर पर समय रहते फसल प्रबंधन, विपणन आदि से संबंधित तैयारियां करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा जिसका लाभ न केवल शासन वरन् किसानों को भी प्राप्त होगा. इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए फसल गिरदावरी संबंधी एप्लीकेशन का विकास मैपआईटी के सहयोग से राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है जिसके माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं उनके द्वारा कृषक से संपर्क कर लगायी गयी फसल की जानकारी ग्राम से ही भरी जा सकेगी. जैसे ही जानकारी सर्वर पर अपलोड होगी, संबंधित कृषक को उसके मोबाइल नंबर पर उससे संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अन्तर्गत दर्ज की गई जानकारी जिसमें बोवाई के अतिरिक्त, वृक्षारोपण, मकान या अन्य निर्माण आदि से संबंधित विवरण, SMS के माध्यम से भेजी जावेगी जिसमें एक पासकोड भी होगा. जब पटवारी द्वारा यह पासकोड एप्लीकेशन में डाला जावेगा तभी जानकारी को अंतिम माना जावेगा.

उक्त एप का प्रयोग सभी जिलों में किया जा रहा है. खरीफ 2017 में 54724 ग्रामों में फसल गिरदावरी एप के माध्यम से गिरदावरी सम्पन्न की गई है.

8. भू-परिमापन एवं बंदोबस्त

8.1 भू-परिमापन एवं बंदोबस्त को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:—

(1) भू-परिमाप

(2) राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त

9. ऐसे क्षेत्र जो अपरिमापित हैं उनका अभिलेख तैयार करने के लिये किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य भू-परिमाप के अन्तर्गत हैं. भू-परिमाप के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही **हैं:—**

9.1. **अपरिमित क्षेत्रों का भू-परिमापन.**—इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे गांव जो भू-मापित नहीं हैं उनका भू-परिमापन कर नक्शा निर्माण करना एवं निर्मित नक्शों के आधार पर उनका अधिकार अभिलेख बनाना है. वर्तमान में प्रदेश के 29 जिलों के नगरेत्तर क्षेत्रों के नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख के निर्माण कार्य चल रहा था. जिसमें से 20 जिलों का कार्य पूर्ण हो चुका है. 09 जिलों में कार्य प्रगति पर हैं. इनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है.

परिशिष्ट "अ"

नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख निर्माण दिनांक 31-01-2018 तक की स्थिति में

क्रमांक (1)	जिला का नाम (2)	ग्रामों की संख्या (3)	खोजें/तैयार किये गये नक्शों की संख्या (4)	शेष (5)
1	श्योपुर	103	103	कार्य पूर्ण
2	भिण्ड	45	45	कार्य पूर्ण
3	मुरैना	147	145	02
4	ग्वालियर	82	82	कार्य पूर्ण
5	दतिया	09	09	कार्य पूर्ण
6	गुना	54	54	कार्य पूर्ण
7	अशोकनगर	33	17	16
8	भोपाल	05	05	कार्य पूर्ण
9	विदिशा	72	66	06
10	राजगढ़	33	33	कार्य पूर्ण
11	छिन्दवाड़ा	04	04	कार्य पूर्ण
12	छतरपुर	104	103	01
13	शहडोल	71	71	कार्य पूर्ण
14	अनूपपुर	81	81	कार्य पूर्ण
15	उमरिया	03	03	कार्य पूर्ण
16	रीवा	38	37	01
17	सतना	95	93	02
18	इंदौर	19	19	कार्य पूर्ण
19	धार	55	51	04
20	खरगोन	12	12	कार्य पूर्ण
21	रतलाम	15	15	कार्य पूर्ण
22	शाजापुर	44	42	02
23	मंदसौर	03	03	कार्य पूर्ण
24	नीमच	34	34	कार्य पूर्ण
25	टीकमगढ़	05	05	कार्य पूर्ण
26	सागर	01	01	कार्य पूर्ण
27	मण्डला	21	21	कार्य पूर्ण
28	देवास	10	09	01
29	आगर-मालवा	05	05	कार्य पूर्ण
		योग . .1203	1168	35

टीप–

1	अधिसूचना नक्शाविहीन कुल ग्रामों की संख्या	–	1203
2	भौतिक सत्यापन में प्राप्त ग्रामों की संख्या	–	877
3	प्रस्तावित नक्शा निर्माण हेतु ग्रामों की संख्या	–	326
4	कार्य पूर्ण कर जिला प्रशासन को सौंपे गये ग्रामों की संख्या	–	291
5	नक्शा निर्माण हेतु शेष ग्रामों की संख्या	–	35

10. **भूमि के नक्शों का डिजिटाईजेशन :**

प्रदेश के 51 जिलों में उपलब्ध करायी गई मैपशीटों का डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इन सभी जिलों के 137084 नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाईट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है.

तत्समय नक्शाविहीन, जीर्णशीर्ण होने से डिजिटाईजेशन से शेष एवं मूल ग्रामों से पृथक् कर बनाए गए मज़रा टोलों की लगभग 8000 मैपशीटों का डिजिटाईजेशन मैप आई.टी. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी ग्राम डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाएंगे तथा इनका अपडेशन एवं रख-रखाव आसान हो सकेगा.

11. **विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा की कार्ययोजना—**

वर्ष 2016-17 में राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं पटवारी प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी का प्रपत्र

क्रमांक (1)	प्रशिक्षण संस्थान का नाम (2)	जिला (3)	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम (4)	वर्ष 2016-2017 (5)	विवरण (6)
			वर्ष 2016-2017 की जानकारी		
1	राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर.	ग्वालियर	परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा. (12 प्रशिक्षणार्थी)	2-1-2017 से 13-1-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर. (02 प्रशिक्षणार्थी).	2-1-2017 से 13-1-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नायब तहसीलदार (01 प्रशिक्षणार्थी).	2-1-2017 से 13-1-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नवनियुक्त रा. नि. का प्रशिक्षण (120 प्रशिक्षणार्थी).	1-6-2016 से 28-2-2017 तक	9 माह की अवधि का रा. नि. प्रशिक्षण.
			जूनि. डाटा एन्ट्री आपरेटर. (85 प्रशिक्षणार्थी)	9-1-2017 से 14-1-2017 तक	डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्ड संबंधी रिफ्रेशर कोर्स.

क्रमांक (1)	प्रशिक्षण संस्थान का नाम (2)	जिला (3)	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम (4)	वर्ष 2016-2017 (5)	विवरण (6)
2	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला	इन्दौर	नवनियुक्त रा. नि. का प्रशिक्षण (120 प्रशिक्षणार्थी).	1-6-2016 से 28-2-2017 तक	09 माह की अवधि का रा.नि. प्रशिक्षण.
			वर्ष 2017-2018 की जानकारी		
1	राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर.	ग्वालियर	परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा. (11 प्रशिक्षणार्थी).	24-7-2017 से 5-8-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर. (18 प्रशिक्षणार्थी).	17-04-2017 से 28-4-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर. (18 प्रशिक्षणार्थी).	18-09-2017 से 29-9-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नायब तहसीलदार (34 प्रशिक्षणार्थी).	27-6-2017 से 7-7-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नायब तहसीलदार (37 प्रशिक्षणार्थी).	12-7-2017 से 23-7-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नायब तहसीलदार (34 प्रशिक्षणार्थी).	21-8-2017 से 1-9-2017 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			नवनियुक्त सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (16 प्रशिक्षणार्थी).	15-1-2018 से 24-2-2018 तक	सर्वे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा.
			जूनि. डाटा एन्ट्री आपरेटर. (प्रशिक्षणार्थी).	3-4-2017 से 13-4-2017 तक	डिजिटाईजेशन ऑफ लेण्ड रिकार्ड संबंधी रिफ्रेशर कोर्स.
2	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला	इन्दौर	नवनियुक्त राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण (19 प्रशिक्षणार्थी).	03-04-2017 से 3-1-2018 तक	09 माह की अवधि का रा.नि. प्रशिक्षण.
			नवनियुक्त पटवारियों का प्रशिक्षण (35 प्रशिक्षणार्थी).	03-04-2017 से 3-1-2018 तक	09 माह की अवधि का पटवारी प्रशिक्षण.

12 **आगामी वर्ष के लिये परीक्षा अनुभाग की कार्ययोजना :—**

1. वर्ष 2009, 2010, 2012, 2013 एवं 2015 के चयनित 75 नायब तहसीलदारों सर्वे व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है.

2. पी.ई.बी. के माध्यम से वर्ष 2017 में चयनित 9235 पटवारियों को म. प्र. के 09 पटवारी प्रशिक्षण शालाओं (सीहोर, रीवा, मुरैना, बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, खरगौन, सागर), राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाओं (इन्दौर, उमरिया) एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर तथा जिला स्तर पर पटवारी प्रशिक्षण दिया जाना है.

13 **विभागीय निर्माण कार्य :—**

13.1. **राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय-सह-आवास भवनों का निर्माण :—**

13.1.1 **उद्देश्य.**—राजस्व निरीक्षक/पटवारियों के कार्य का अधिकांश समय ग्रामीण अंचल में होता है परन्तु वहां निवास की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें जिला व तहसील मुख्यालय पर निवास करना पड़ता है. फलस्वरूप कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. कृषकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके इसके लिये राजस्व निरीक्षक/पटवारियों को हल्के पर ही रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में रा. नि. मण्डल तथा पटवारी हल्के में कार्यालय सह-आवासीय भवन बनवाने की योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना के क्रियान्वयन से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने हल्कों में निवास कर सकेंगे और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर सकेंगे.

13.1.2 **राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय-सह-आवास निर्माण कार्य की प्रगति.**—योजना के प्रारंभ से वर्ष 2015-16 तक कुल 1977 भवनों के निर्माण में रुपये 8207-71 लाख की राशि व्यय की गई है. अभी तक इस योजना के अंतर्गत 1534 भवनों का निर्माण कराया जा चुका है. शेष 443 भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी है.

13.1.3 वर्ष 2016-17 में 264 भवनों के निर्माण की स्वीकृति राज्य आयोग द्वारा प्रदान की गई थी. जिसके निर्माण हेतु रु. 1372.80 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र दिनांक 1-8-2016 द्वारा सौंपा गया था. निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 23-8-2016 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-14-04/2012/सात/शा-5, दिनांक 5-12-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 1372.80 लाख से पूर्व के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्यों की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: वर्ष 2016-17 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे हैं.

13.1.4 वित्त वर्ष 17-18 में स्वीकृत राशि रुपये 1023.00 लाख को प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 22-9-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में राशि पुराने स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि रुपये 1023.00 लाख पत्र दिनांक 29-9-2017 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को वी.सी.ओ. से वी.सी.ओ. उपलब्ध कराई जा चुकी हैं.

14. **अभिलेखागार भवनों का निर्माण :—**

राजस्व अभिलेख अति-महत्वपूर्ण श्रेणी का अभिलेख होता है इन अभिलेखों का उपयोग साक्ष्य के रूप में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अक्सर होता रहता है. इन अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने हेतु पृथक् से अभिलेखागार होना अति-आवश्यक है.

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला/तहसील मुख्यालयों पर अभिलेखागार निर्माण की योजना प्रारंभ की गई. योजना के प्रारंभ से वर्ष 2011-12 तक 261 अभिलेखागार भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें रुपये 1148.69 लाख का व्यय किया गया है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 19 अभिलेखागार भवनों हेतु रुपये 75.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से 16 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.

14.1 **मॉडर्न अभिलेखागार का निर्माण :—**

केन्द्र प्रवर्तित योजना (NLRMP) के अन्तर्गत भू-अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखने हेतु वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 50 जिलों की 109 तहसीलों में मॉडर्न अभिलेखागार के निर्माण हेतु रुपये 1365.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. प्रत्येक जिले में दो मॉर्डन रिकार्ड रूम निर्माण किये जावेंगे. जिला तहसील हेतु रुपये 13.50 लाख एवं जिले की एक अन्य तहसील हेतु रुपये 11.50 लाख इस प्रकार प्रत्येक जिले को रुपये 25.00 लाख का आंवटन उपलब्ध कराया गया है. इन आधुनिक अभिलेखागारों में 65' × 30' के क्षेत्र में जंगरोधी रैक्स का निर्माण, रिकार्ड कीपर रूम टायलेट के साथ, कम्प्यूटर रूम एवं विजिटर रूम का निर्माण किया जा रहा है. वर्ष 2015-16 तक 107 मॉडर्न अभिलेखागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है शेष में विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्य जारी है.

14.2 **राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला भवनों का निर्माण :—**

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भू-अभिलेख विभाग की महत्वपूर्ण इकाई है इन कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला के भवनों के निर्माण हेतु कार्य कराया गया है. इसके अंतर्गत राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं 9 पटवारी प्रशिक्षण शाला संचालित हैं.

पटवारी प्रशिक्षण शाला होशंगाबाद/सागर/बालाघाट एवं जबलपुर में प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है. वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 में राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर को 50 बिस्तर वाले छात्रावास हेतु राशि रु. 238.00 लाख का आवंटन सौंपा गया था जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं उज्जैन में छात्रावास/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 150.00 लाख का आवंटन दिया गया था जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. वर्ष 2016-17 में नवीन पटवारी प्रशिक्षण शाला रीवा के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 21.96 लाख का आवंटन चतुर्थ त्रैमास में सौंपा जा चुका है. इसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव में अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण हेतु रुपये 6208078 लाख का आवंटन सौंपा जा चुका है.

वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि रुपये 200.00 लाख में से बजट में उपलब्ध राशि रुपये 180.00 लाख को रा.स्त.प्र.सं. एवं प्रशिक्षण शालाओं के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्यों हेतु निम्नानुसार राशि रा.स्त.प्र.सं. महलगांव को रुपये 81,48,235/- रा.नि.प्र.शाला उमरिया को रुपये 17,56,000/- एवं पटवारी प्रशिक्षण

शाला होशंगाबाद को रुपये 6,38,278/- बालाघाट को रुपये 9,27,000/- सीहोर को रुपये 10,36,487/- सागर को रुपये 15,14,000/- मुरैना को 10,64,000/- जबलपुर को रुपये 7,29,000/- खरगौन को रुपये 12,76,000/- एवं उज्जैन को रुपये 9,11,000/- इस प्रकार कुल राशि 180.00 लाख वी.सी.ओ. से वी.सी.ओ. उपलब्ध कराई जा चुकी हैं.

15. **1-बिन्दु क्रमांक-1**

पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी :—

	स. क्र.	पदनाम
पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	1	निरंक

बिन्दु क्रमांक-2

स्थानांतरण की संवर्गवार जानकारी :

स. क्र. (1)	संवर्ग का पदनाम जिसके स्थानांतरण किये गये हैं (2)	स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या (3)
1	अधीक्षक भू-अभिलेख	02
2	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	19
3	राजस्व निरीक्षक	129
4	सहायक ग्रेड-2	01
5	सहायक ग्रेड-3	01
6	सहायक प्रोग्रामर	02
7	जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	37
8	अनुरेखक	02
9	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी नियमित	12

बिन्दु क्रमांक—3

क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ दिये गये अधिकारी/कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी

स. क्र.	संवर्ग का पदनाम	क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ दिये अधिकारी/कर्मचारी की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	राजस्व निरीक्षक	01
2	सहायक ग्रेड-2	01
3	सहायक ग्रेड-3	02
4	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी (नियमित)	51

बिन्दु क्रमांक—4

विभाग में स्वीकृत पद/भरे पद/रिक्त पदों की पृथक् से जानकारी संलग्न है

(01 जनवरी 2018 की स्थिति में जानकारी)

(1) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-8-29/2004/सात-4/745, दिनांक 24-09-2007 द्वारा विभागीय नवीन संरचना के अन्तर्गत नवीन सेटअप की स्वीकृति अनुसार.

(2) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-01-2013-सात-4 बी, दिनांक 30-11-2013 द्वारा नवगठित जिला कार्यालय, भू-अभिलेख, आगर-मालवा के लिये सृजित पदों को भी सम्मिलित किया गया है.

(3) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-1-09/2016/सात/4 बी दिनांक 29 अगस्त 2016 द्वारा पटवारी के 7398 नवीन सृजित पद.

स. क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त, भू-अभिलेख	01	-	01	श्री एम. सेलवेन्द्रम (भा.प्र.से.), अपर सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग को आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है.
2	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख	01	-	01	
3	संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख	02	01	01	
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	संयुक्त संचालक (सा.)	–	–	–	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
6	जिला भू-प्रबन्धन अधिकारी	22 (–)1	01	20	01 पद समर्पित.
7	उप आयुक्त (विधि)	01	–	01	
8	उप आयुक्त (सा.)	01	–	01	03 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
9	उप आयुक्त, भू-अभिलेख/उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाऐं/सर्वे अधिकारी/ केडेस्ट्रल अधिकारी.	16	11	05	
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	–	
11	प्रोग्रामर	01	–	01	
12	लेखा अधिकारी	01	01	–	
13	सहायक आयुक्त (सां.)	08	–	08	06 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
14	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01	
15	अधीक्षक, भू-अभिलेख	143	11	132	
16	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	280	145	135	
17	राजस्व निरीक्षक	2167	1764	403	
18	पटवारी	19020	9785	9235	व्यापम द्वारा भरे जा रहे हैं.
19	अधीक्षक मुख्यालय	08	02	06	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
20	सहायक अधीक्षक (कार्यालय)	16	–	16	
21	सहायक ग्रेड-1	23	02	21	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
22	ग्रंथपाल	01	–	01	
23	सहायक ग्रेड-2	147	50	97	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	सहायक ग्रेड-3	337	270	67	08 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
25	वरिष्ठ निज सहायक	01	01	–	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
26	निज सहायक	05	–	05	
27	शीघ्रलेखक (कनिष्ठ श्रेणी)	13	07	06	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
28	स्टेनो टायपिस्ट	01	–	01	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
29	पर्यवेक्षक, फसल प्रयोग	21	02	19	34 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
30	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	22	08	14	09 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
31	संगणक (सां.)	31	06	25	21 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
32	मुख्य मानचित्रकार	01	–	01	
33	मुख्य संगणक	03	–	03	
34	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	04	–	04	
35	पारगामी	08	05	03	
36	मानचित्रकार	84	14	70	
37	संगणक सर्वे	11	–	11	
38	अनुरेखक	168	121	47	
39	सहायक प्रोग्रामर	35	06	29	
40	डाटा एन्ट्री आपरेटर (मशीन आपरेटर-1 पद)	81+1=82	25	57	
41	जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर (एक पद वायरमेन का सम्मिलित).	458	382	76	
42	सहायक लेखाधिकारी	04	03	01	
43	वाहन चालक	20	12	08	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	सुपरवाईजर	01	–	01	
45	जमादार/दफ्तरी	09	–	09	
46	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी नियमित	1437	1276	161	49 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
47	कंटेनजेन्सी/कलेक्टर दर पर	1160	441	719 डाइंग केडर घोषित	408 स्थाईकर्मी घोषित किये गये.
	योग . .	25777	14354	11423	कुल 141 पद किसान कल्याण विकास विभाग एवं कृषि विकास विभाग को दिये गये.

बिन्दु क्रमांक—5

1. पदक्रम सूची की संवर्गवार जानकारी:—

विभाग द्वारा दिनांक 01-04-2017 की स्थिति दर्शाने वाली निम्नलिखित पदक्रम सूचियों का प्रकाशन किंया गया है:—

1.	कार्यपालिक	1 अधीक्षक भू-अभिलेख
		2 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
		3 राजस्व निरीक्षक
2.	लिपिकीय संवर्ग	1 अधीक्षक (मुख्यालय)
		2 सहायक ग्रेड-1
		3 सहायक ग्रेड-2
		4 सहायक ग्रेड-3
		5 वरिष्ठ निज सहायक
		6 शीघ्रलेखक
		7 वाहन चालक
3.	सर्वेतकनीकी संवर्ग	1 मानचित्रकार
		2 पारगामी
		3 अनुरेखक

2. पदक्रम सूची जो जारी नहीं होना है:—(कोई कर्मचारी कार्यरत न होने से)

1. प्रशासनिक अधिकारी
2. संयुक्त संचालक (सां.)
3. उप आयुक्त (सां.)
4. सहायक आयुक्त (सां.)
5. निज सहायक
7. मुख्य संगणक

8. संगणक सर्वे
9. वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
10. सहायक अधीक्षक (कार्यालय)
11. मुख्य मानचित्रकार
12. लायब्रेरियन

3. सांख्यिकी संवर्ग/तकनीकी संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग की दिनांक 01-04-2017 की स्थिति वाली पदक्रम सूची जारी नहीं की गई है.

बिन्दु क्रमांक—6

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकृत किये जाने की संवर्गवार जानकारी:—

स. क्र. (1)	पदनाम जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई (2)	निराकृत किये गये प्रकरण की संख्या (3)
1	पटवारी	24
2	सहायक ग्रेड-3	08
3	भृत्य	26
	योग . .	58

16. वित्त वर्ष 2017-18 में आयोजनेत्तर बजट प्रावधान तथा आवंटन

दिनांक 31-01-2018

2029-भू-राजस्व — राशि रुपए में

स. क्र. (1)	योजना का नाम (2)	गतिविधियां (3)	बिन्दु क्रमांक-13 बजट प्रावधान (4)	31-01-2018 तक व्यय राशि (5)
1	0456-आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय	वेतन भत्ते	98682500	64203103
2	6846-भू-प्रबंधन	वेतन भत्ते	793184000	505380442
3	21-नजूल स्थापना	वेतन भत्ते	303837000	211371567
4	2503-परिमापन, व्यवस्थापन तथा लेखन संबंधी कार्य	वेतन भत्ते	334595900	234191097
5	3132-भू-सुधार	वेतन भत्ते	13764400	8887643
6	0767-कपास पर फसल अनुमान परिमापन	वेतन भत्ते	9900	0
7	1472-जिला खर्च	वेतन भत्ते	4973568406	3463137057
8	1904-तेरहवीं पंचवर्षीय पशु संगणना 1982	वेतन भत्ते	2884000	1342810
9	2494-पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख प्रशिक्षण	वेतन भत्ते	12312000	3868135
10	6155-कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का नि:शुल्क वितरण.	प्रेस छपाई	11000000	1708800
11	5475-2183 भूमि धारकों को मुआवजा का भुगतान (बाण्ड्स).	मुआवजा बाण्ड्स	500000	0
	योग आयोजनेत्तर . .		6544338106	4494090654

बिन्दु क्रमांक-14

वित्त वर्ष 2017-18 में आयोजना एवं अन्य बजट प्रावधान तथा आवंटन दिनांक 31-01-2018

राशि रुपए में

स. क्र. (1)	योजना का नाम (2)	गतिविधियां (3)	बजट प्रावधान (4)	31-01-2018 तक व्यय राशि (5)
		राज्य आयोजना		
1	5070 (3180)-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण.	तहसीलों का उन्नयन	110002000	2893144
2	7603 (1559)-राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन.	वेतन भत्ते/परिवहन	1000	0
3	7167(नवीन)-एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण.	उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	18000000	18000000
4	8808-सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्य		27000000	0
	योग (राज्य आयोजना)		155003000	20893144
	पूंजी अनुभाग 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5	6980(3171)-भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (राजस्व निरीक्षक/ पटवारी आवास निर्माण).	08	102300000	102300000
	योग (पूंजीगत परिव्यय) . .		102300000	102300000

टीप—निर्माण कार्य की राशि बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. हस्तांतरित की गई है.

		केन्द्र क्षेत्रीय योजना		
6	6337(1200)-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (NLRMP)	उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	1000	0
7	5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार.	कम्प्यूटरीकरण	1000	0
8	9981-लघु सिंचाई योजनाओं की योजना मानदेय.	कम्प्यूटरीकरण	21822000	289826
	योग केन्द्र क्षेत्रीय योजना . .		21824000	289826

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(01-10-2016 से 30-9-2017)

मध्यप्रदेश राज्य :

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01-11-1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें :—

1. पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
2. मध्यभारत
3. विन्ध्यप्रदेश
4. भोपाल तथा
5. राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि तथा भूमि विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून / अधिनियम लागू थे जिन्हें लोप किया जाकर दिनांक 02-10-1959 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 को लागू किया गया.

2. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार हैं:—

	संभाग	जिले
1.	ग्वालियर	ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर
2.	चम्बल	भिण्ड, मुरैना और श्योपुर
3.	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर.
4.	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, और आगर.
5.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा
6.	होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा, बैतूल
7.	सागर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़
8.	रीवा	रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना
9.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी और बालाघाट,
10.	शहडोल	शहडोल, अनूपपुर, उमरिया.

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं. उनकी सहायता के लिये एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है. इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं. ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी परिभाषित किये गये हैं और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं.

राजस्व मण्डल पृष्ठ भूमि एवं गठन :

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रान्त तथा बरार, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था जबकि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नहीं थी. इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को 1-11-1956 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई. राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाए जाते हैं, जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की

सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है.

स्वतंत्र व निष्पक्ष :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत राजस्व मण्डल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते हैं. मंडल के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाइम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते हैं. इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है. न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्ष व शासन-तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व न्यायाधीशों के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई हैं.

कर्त्तव्य एवं शक्तियां :

मंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :—

राजस्व मंडल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी है. इसके अतिरिक्त मण्डल को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये हैं.

1. धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां
2. धारा 9 तथा 41 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियां
3. धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति
4. धारा 44 के अधीन अपीलें सुनने की शक्ति
5. धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण (निगरानी) की शक्ति
6. धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति
7. धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां.

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल की हैसियत से मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है :—

1. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 (2) अंतर्गत बने अपील नियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार.
2. मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक, प्राधिकारी की शक्तियां.
3. मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ बार्डस एक्ट, 1899 की धारा 12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिये गये हैं.
4. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4 (3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिये गये हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त हैं.

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27 मार्च 1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिए हैं.

इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 (5) के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को "पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है.

मण्डल का सचिवालय :

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई. ए. एस. संवर्ग के अधिकारी) हैं. उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं:—

अवर सचिव	2
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक अनुभाग अधिकारी	2
स्टॉफ ऑफिसर	1
लेखाधिकारी	1

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत हैं. वर्तमान में मण्डल में कुल 109 पदों के विरुद्ध कुल 73 कर्मचारी कार्यरत हैं.

मण्डल के कार्य/ उपलब्धि :

1. राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी "लीक" से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं.

2. राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है. वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित चार पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय हैं. इन न्यायालयों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है. जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 43 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है. यह प्रयास किया गया है कि मण्डल से संबंधित सदस्य / सदस्यगण नियमित रूप से उनके द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार सर्किट पर प्रकरणों की सुनवाई करें. इससे जहां एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्चे से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये हैं.

3. इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय में दायर प्रकरणों को कम्प्यूटराईज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध हो पा रही है, साथ ही प्रकरण में हुए आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल आदि पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है.

4. राजस्व मण्डल को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों एवं कार्यालयीन/न्यायालयीन रख-रखाव हेतु . . 9001 रु. 2015 का सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया गया है.

5. अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में माह के प्रथम मंगलवार को समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों की प्रगति गति से संपादित हो रहे हैं.

6. राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहां एक ओर यह प्रयास किये गये हैं कि मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कमं से कम 70 एवं इसके अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते हैं. इसी उद्देश्य से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणों की सुनवाई युगल पीठ या पूर्ण पीठ के द्वारा करने का प्रावधान है.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

दिनांक 30-09-17 की स्थिति में

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	स्थाई पद (4)	अस्थाई पद (5)	भरे पद (6)	रिक्त पद (7)
1.	**सहायक वर्ग-1**	10	08	02	06	04
2.	**सहायक वर्ग-2**	18	18	0	10	08
3.	**सहायक वर्ग-3**	12	12	0	11	01
4.	**ग्रन्थपाल**	01	0	01	01	0
5.	**वरिष्ठ निज सहायक**	03	03	0	02	01
6.	**निज सहायक**	10	09	01	02	08
7.	**शीघ्रलेखक**	03	02	01	01	02
8.	**स्टेनोटायपिस्ट**	05	05	0	04	01
9.	**वाहन चालक**	07	0	07	04	03
10.	**दफ्तरी**	01	01	0	0	01
11.	**जमादार**	07	07	0	05	02
12.	**रिकार्ड लिफ्टर**	01	01	0	0	01
13.	**भृत्य**	31	28	03	26	05
14.	**दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी**	-	0	0	01	0
	कुल योग	109	94	15	73	37

हस्ता./-

उपसचिव

राजस्व मण्डल

मध्यप्रदेश ग्वालियर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

विभागाध्यक्ष :—

श्री राजेश कुमार कौल	—	अवधि 26-12-2016 से दिनांक 14-9-2017
श्री पी. नरहरि	—	अवधि 14-9-2017 से दिनांक 23-11-2017
पदेन सचिव, राजस्व विभाग		
अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ		
नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार		
श्री राजेश कुमार कौल	—	अवधि 23-11-2017 से लगातार.

विभागीय संरचना :

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत चार मुद्रणालय क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा में स्थित हैं. जिलों का मुद्रणालयों से सम्बद्धीकरण निम्नानुसार है:—

स.क्र. (1)	मुद्रणालय का नाम (2)	सम्बद्ध जिलों के नाम (3)
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (14 जिलें).	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला, एवं राजगढ़.
2.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर (12 जिलें).	ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सागर, दमोह, छतरपुर एवं टीकमगढ़.
3.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर (15 जिलें).	इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर एवं आगर-मालवा.
4.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा (10 जिलें).	रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी, अनूपपुर, कटनी एवं पन्ना.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3-3/2017/सात-4ए, दिनांक 16-5-2017 के द्वारा शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर के कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरान्त बन्द किया गया है. उक्त कार्यालय के स्वीकृत पदों को स्वीकृत पदों की संख्या में सम्मिलित किया गया है. विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी एवं गैर- तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 1684 पद स्वीकृत हैं, जिनकी श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है:—

स.क्र. (1)	श्रेणी (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1.	प्रथम श्रेणी	7	6	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	द्वितीय श्रेणी	10	3	7
3.	तृतीय श्रेणी	1217	510	707
4.	चतुर्थ श्रेणी	445	155	290
5.	आकस्मिकता निधि	5	2	3
	योग . .	1684	676	1008

टीप :—विभागीय संरचना (सेटअप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण पदों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है.

दिनांक 1-1-2017 से 31-12-2017 की स्थिति में:—

विभागीय पदोन्नति	:	माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी याचिका लंबित होने से निरंक.
समयमान वेतनमान	:	6 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है.
नियुक्तियां :	:	सीधी भर्ती से कोई नियुक्ति नहीं की गई है. अनुकम्पा के आधार पर 7 नियुक्ति की गई हैं.
परिवीक्षा अवधि समाप्त	:	3 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई.
परीक्षण अवधि समाप्त करना.	:	4 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई.
विभागीय जांच करना	:	09 प्रकरण अधिकारियों के एवं 06 प्रकरम कर्मचारियों के लंबित हैं.
न्यायालय प्रकरण	:	48 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है.

नियंत्रक के दायित्व :

मध्यप्रदेश राजपत्र का प्रकाशन, विधान सभा प्रश्नोत्तरी एवं कार्यवाही विवरण का मुद्रण, विभिन्न चुनाव हेतु मतपत्रों तथा चुनाव संबंधित प्रपत्र एवं लिफाफों का मुद्रण, बजट (अनुदानों की मांग) पुस्तिका का मुद्रण, शेड्यूल प्रपत्रों का मुद्रण, विधान सभा के प्रश्नोत्तरी एवं अन्य सामग्रियों का मुद्रण, शासकीय डायरी एवं कैलेण्डर का मुद्रण तथा प्रकाशन. शासन के समस्त विभागों को उनकी मांग पर मुद्रण सामग्री का मुद्रण कर प्रदाय करना तथा भोपाल स्थित समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों को लेखन सामग्री के मांग की पूर्ति करना.

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :

विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों / कार्यालयों की अनुसूची एवं गैर-अनुसूची प्रपत्रों एवं बुकों, राजपत्र, बजट, अनुमान पुस्तिका, विधान सभा प्रश्नावली एवं कार्यवाही विवरण के साथ मतपत्र मुद्रण के अति गोपनीय कार्यों एवं शासकीय कैलेण्डर एवं डायरी का मुद्रण करना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के उपयोग में आने वाली लेखन सामग्री का भी प्रदाय किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र एवं असाधारण राजपत्र को विभाग की वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर माह सितम्बर 2010 से अपलोड किया जा रहा है, जिससे शासकीय विभागों एवं आम जनता को सुगमता से उनके कार्यालय में ही प्राप्त हो सके.

आधुनिकीकरण :

मुद्रणालयों में आधुनिक तकनीक की मशीनों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है ताकि वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार विभागों के मुद्रण कार्य निर्धारित समय एवं गुणवत्ता के साथ सम्पन्न किये जा सकें.

महत्वपूर्ण सांख्यिकी:

लक्ष्य का नाम	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2016-17	वार्षिक लक्ष्य के आधार पर 31-12-2017 तक का निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक की प्राप्तियां	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौतिक लक्ष्य				
अ. मुद्रण इम्प्रेशन ए/2 आकार	**26,40,00,000**	**19,24,99,994**	**8,29,76,403**	**43.10%**
ब. कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार	**93,500**	**70,120**	**24,664**	**35.17%**
आर्थिक लक्ष्य (रुपयों में)	**50,62,00,000**	**38,11,49,991**	**8,25,65,880**	**21.66%**

बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय

मांग संख्या-9 शीर्ष 2058—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का विवरण निम्नानुसार है :—

बजट शीर्ष का नाम मांग संख्या-9 शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रावधान	वित्त विभाग द्वारा कटोत्रे के पश्चात् प्राप्त आवंटन	दिनांक 31-12-2016 तक का प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
	73,81,42,000	73,76,26,200	28,30,59,426
	50,000 भारित	50,000 भारित	

हस्ता./-
उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म. प्र., भोपाल.

शाकेमुभो—593—असराविभो—3-3-2018—550.

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा मुद्रित -2018